

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी /,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
आगरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर एवं लखनऊ।

पत्रांक / 001-मण्डल / 141 / पि0व0क0 / अधि0आवं0 / 2017-18 लखनऊ:दिनांक: 01 अप्रैल, 2017

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षक: '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु लेखानुदान अवधि हेतु धनराशि का आबंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या-02/2017/115/64-2-2017-1(01)/2017 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा निदेशालय के अधिष्ठान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु अन्तरिम आवश्यक धनराशि के सापेक्ष रू0 7,35,63,000.00 (रू0 सात करोड़ पैंतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार मण्डलीय कार्यालयों के व्यय हेतु रू0 26,06,400.00 (रूपया छब्बीस लाख छः हजार चार सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती है:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-संख्या-03/2017/बी-1-248/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आबंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त-संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।

- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8- आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
 - 1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
 - 2- प्रारम्भिक/व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण दिनांक 15.10.2017 तक।
 - 3- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2017 तक।
 - 4- वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2018 तक।
 - 5- वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2018 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी



(महेश कुमार गुप्ता)

निदेशक

पृ0सं0: 001-मण्डल /141 /पि0व0क0/अधि0आवं0/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आगरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल।



(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-21/04/2017

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MANDAL
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	01-वेतन भत्ता	03-मंहगाई	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	107200 695600	4300 27900	0 10000	6500 41800	0 10000	0 36000	0 4000	0 4000	0 25000	0 129100	0 30000	0 0	118000 1013400
2	मुरादाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	315200 868400	12700 34900	30000 70000	19000 52200	10000 20000	8000 8000	4000 8000	2000 6000	25000 50000	96400 96400	20000 50000	0 50000	542300 1313900
3	कानपुर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	107200 926800	4300 37100	0 0	6500 55700	0 10000	0 0	0 4000	0 4000	0 25000	0 0	0 30000	0 0	118000 1092600
4	इलाहाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	630800 1399200	25300 56000	25000 25000	37900 84100	10000 20000	0 0	4000 8000	2000 6000	25000 50000	0 0	20000 50000	0 0	780000 1698300
5	लखनऊ कलेक्ट्रेट-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	866400 1405200	34700 56300	10000 15000	52000 84400	10000 20000	0 22000	4000 8000	2000 6000	25000 50000	0 0	20000 50000	24000 44000	1048100 1760900
	योग	वर्तमान प्रगामी	2026800 5295200	81300 212200	65000 120000	121900 318200	30000 80000	8000 66000	12000 32000	6000 26000	75000 200000	96400 225500	60000 210000	24000 94000	2606400 6879100

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख छः हजार चार सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़सठ लाख उन्नासी हजार एक सौ


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी